>

Title: Need to provide relief to the farmers whose crops have been affected due to natural calamities in the country.

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, पाला व तुषार आपदा के लिए एस.डी.आर.एफ. तथा एन.डी.आर.एफ. से सहायता नहीं दी जा सकती, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि फसलों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए हम केन्द्रीय अध्ययन दल भेजकर अध्ययन नहीं करा सकते। लेकिन इसके बावजूद भी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि शीतलहर के गंभीर प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से आरकेवीवाई के तहत 200 करोड़ की राशि निर्मुक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2010-2011 के लिए आरकेवीवाई के अन्तर्गत आबंटन 589.09 करोड़ रुपये है जिसमें 359.1 करोड़ आज निर्मुक्त कर दिया गया है जबकि सच्चाई यह है कि न तो 200 करोड़ रुपये की राशि अभी तक मिली है और न ही वर्ष 2010-2011 की शेष राशि 229.91 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है। माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से गुमराह किया है, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आंकड़ों की बाजीगरी में किसानों के साथ अन्याय बंद करें तथा मध्य प्रदेश सहित जिन जिन राज्यों में पाले से किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदा में शामिल कर मध्य प्रदेश के किसानों को 2472 करोड़ रुपये की राहत राशि प्रदान करें तथा किसानों को लगातार घाटे से बचाने के लिए जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी फसलों के लिए नयी कृषि बीमा योजना लाएं जिसमें किसानों का प्रीमियम आधा केन्द्र सरकार दे तथा आधा राज्य सरकारें दें तथा किसानों के खेत को इकाई बनाया जाए जिसके साथ-साथ कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदया : श्री के.डी.देशमुख और श्री अर्जुन राम मेघवाल भी श्री गणेश सिंह द्वारा उठाये गये विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।